

प्रेस नोट

जनपद

रामपुर

दिनांक 28.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

थाना टाण्डा - 25000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद में इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा० संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी स्वार, रामपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 28.11.2021 को थाना टाण्डा व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त शौकत पुत्र जहरुल हसन निवासी ग्राम लालपुर कलां थाना टाण्डा जनपद रामपुर को प्रानपुर के जंगल से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर मु०अ०सं०-443/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना टाण्डा रामपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-99/2021 धारा

147/148/188/186/269/270/332/353/326/504/506/307 भा०दं०वि० व मु०अ०सं० 100/2021 धारा 147/148/149/341/307/506/394 भा०दं०वि० के अभियोग में लगातार वॉछित/फरार चल रहा था। उक्त अभियुक्त पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार इनामी अभियुक्त का नाम व पता-

शौकत पुत्र जहरुल हसन निवासी ग्राम लालपुर कलां थाना टाण्डा जनपद रामपुर बरामदगी:-

एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए।

आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 188/19 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भा०दं०वि० थाना गंज जनपद रामपुर।

2-मु०अ०सं० 287/2020 धारा 379 भा०दं०वि० थाना डिलारी मुरादाबाद।

3-मु०अ०सं०-263/2020 धारा 147/341/186/188/269 भा०दं०वि० व 3 महामारी अधि०

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

01-उ०नि० श्री अजयपाल सिंह (एसओजी)

02-उ०नि० श्री राजीव कुमार (थाना टाण्डा)

03-हेड का० 17 दिनेश कुमार (एसओजी)

04-हेड का0 505 सरफराज अहमद (एसओजी)

05-हेड का0 513 दीपक कुमार (एसओजी)

07-कां0 739 परवेन्द्र सिंह (एसओजी)

08-कां0 1716 राहुल मलिक (एसओजी)

09-कां0 1604 नितेश कुमार (एसओजी)

10-कां0 620 माधव कुमार (थाना टाण्डा)

थाना सैफनी:-हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त एक अद्व नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 28-11-2021 को थाना सैफनी, रामपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अमीर मियाँ पुत्र मुफीत मियाँ निवासी बडागाँव थाना सैफनी जनपद रामपुर को बडागाँव चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्व नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- (एचएस नम्बर-173ए)

अमीर मियाँ पुत्र मुफीत मियाँ निवासी बडागाँव थाना सैफनी जनपद रामपुर बरामदगी:-

एक अद्व नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 414/02 धारा 342,452,506 भदावि0 थाना शाहबाद

2-मु0अ0सं0 223/2000 धारा 460 भदावि0 थाना शाहबाद

3-मु0अ0सं0 403/2003 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना शाहबाद

4-मु0अ0सं0 397/2004 धारा 382,411 भदावि0 थाना शाहबाद

5-मु0अ0सं0 444/2004 धारा 459,411 भदावि0 थाना शाहबाद

6-मु0अ0 सं0 455/2004 धारा 307 भदावि0 थाना शाहबाद

7-मु0अ0 सं0 544/2004 धारा 18/20 एन0डी0पी0एस.एक्ट थाना शाहबाद

8-मु0अ0 सं0 2122/2008 धारा 376,392 भदावि0 थाना शाहबाद

9-मु0अ0सं0 677/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना शाहबाद

कार्यवाही:-

मु0अ0सं0-71/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सैफनी, रामपुर।

थाना सैफनी-2 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 28-10-2021 को थाना, सैफनी रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सुरेश पुत्र राम गुलाम नि0 मो0 चौराहे वाला मन्दिर सैफनी रामपुर तथा कल्लु पुत्र मंजुर नि0 ग्रा0 वेरवा सैफनी रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली:- एक अद्व नाजायज तमंचे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28-11-2021 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा मौहम्मद दिलावर पुत्र सलामत निवासी मोहल्ला फुलवार मछली बाजार थाना कोतवाली जनपद रामपुर को 01 अद नाजायज तमंचे व 01 अद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना कोतवाली, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 227/21 धारा 3/ 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।